आवंटन
आयोजनागत–अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515001010300

प्रेषक,
निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,
जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
शामली।

संख्या 1/1180/2014–1/20/2014 : लखनऊ: दिनांक 09 दिसम्बर, 2014

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में जिला पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–101 –पंचायती राज–03–जिला पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1815/33–3–2014–35/2014, दिनांक 04 अगस्त, 2014 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में नवसृजित जनपद शामली में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के स्थापना हेतु सृजित पदो के वेतनादि में व्यय हेतु धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार प्रस्ताव ₹ 474997/– (₹ चार लाख चौहत्तर हजार नौ सौ सत्तान्नवे मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक), अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–2467/दस–2014–231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/8 भाग ही हो। यदि किसी माह में 1/8 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व निदेशालय की अनुमति प्राप्त की जाय। संलग्न सूची के अनुसार अधिक व्यय न किया जाय।

3– सम्बन्धित जिला कार्यालयों को वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेंजिग स्वीकृत आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा। जो सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

4– वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो, उन मामलों में व्यय के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का विशेष रूप से पालन किया जाय।

6– उपर्युक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम– आयोजनागत–101 –पंचायती राज 03 जिला पंचायत प्रशासन के नामें डाला जायेगा।

7– वेतन भत्ते आदि का आहरण केवल सृजित पदों के सापेक्ष ही किया जाय। नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाये। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। आहरण के पूर्व अन्य संगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

8– सामान्यतः बिना निदेशालय की अनुमति प्राप्त किये कोषागार नियम–27 से कोई धनराशि आहरण न किया जाये।

9– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह बी0एम0–4 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरें जाए तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

क्रमशः 2

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015

आवंटन दिनांक-09/12/2014

प्रेषण संख्या:- 1-1180-2014-1-20-2014

आवंटन आदेश संख्या:- 003-20-2014

अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

101 - पंचायती राज

03 - जिला पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-महंगाई भत्ता	04-यात्रा व्यय	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	06-अन्य भत्ते	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत देय	10-जलकर / जल प्रभार	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	योग
1	शामली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	210000 210000	210000 210000	2333 2333	6666 6666	21000 21000	16666 16666	1333 1333	1000 1000	4333 4333	1666 1666	474997 474997
	योग	वर्तमान प्रगामी	210000 210000	210000 210000	2333 2333	6666 6666	21000 21000	16666 16666	1333 1333	1000 1000	4333 4333	1666 1666	474997 474997

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार लाख चौहत्तर हजार नौ सौ सत्तानवे

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार लाख चौहत्तर हजार नौ सौ सत्तानवे

(महेन्द्र नारायण)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी.